लेखापरीक्षा प्रस्तर

कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग

3.1: प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भवन के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय

कार्यक्षेत्र की व्यापकता के निर्धारण में शिथिलता, विभागीय स्तर पर धनराशि निर्गत करने में विलम्ब के साथ-साथ निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधूरे निर्माण पर ₹ 54.80 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिसके कारण परियोजना का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड VI का प्रस्तर 318 प्रावधानित करता है कि प्रस्तावित प्रत्येक कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक उचित विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए और कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व इसे प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा (बीयूएटी) के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर-2021) ये तथ्य प्रकाश में आया कि विश्वविद्यालय महायोजना के अंतर्गत प्रावधानित विभिन्न महाविद्यालयों[1] में से, बीयूएटी ने कृषि अभियन्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (सीएईटी) के भवन निर्माण हेतु ₹ 95.53 करोड़ की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किया (अगस्त 2010)। प्रस्तावित डीपीआर में महाविद्यालय के सात विभागों[2] के लिए भूतल (23,793 वर्गमीटर) और प्रथम तल (20,789 वर्गमीटर) सहित द्वितलीय भवन निर्माण का प्रावधान किया गया था। विस्तृत प्राक्कलन पर व्यय वित्त समिति की

---

[1] विश्वविद्यालय महायोजना में ग्यारह महाविद्यालयों को बनाने का प्रावधान था। इनमें से चार महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय, बागवानी महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय और सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय क्रियाशील थे। मार्च 2024 तक, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का निर्माण पूर्ण हो गया था, जिसे अगले शैक्षणिक सत्र से क्रियाशील होना प्रस्तावित था। मार्च 2024 तक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माण अधूरा था। शेष पांच महाविद्यालय, जैसे कृषि प्रबंधन महाविद्यालय, डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मौलिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और मत्स्य पालन महाविद्यालय, मार्च 2024 तक स्वीकृत नहीं थे।

[2] भूतल: वास्तुकला विभाग, सिविल प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रिकल प्रौद्योगिकी विभाग और मैकेनिकल प्रौद्योगिकी विभाग; प्रथम तल: कृषि प्रौद्योगिकी विभाग, कंप्यूटर विज्ञान विभाग और खनन विभाग।

अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ₹ 89.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जनवरी 2011) के साथ ही ₹ 63.28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की, जिसे बाद में संशोधित कर ₹ 53.28 करोड़ कर दिया गया (फरवरी 2011)।

सीएईटी भवन का निर्माण कार्य 45 प्रतिशत की प्रगति, जिसमें भूतल के स्लैब कार्य और प्रथम तल के कुछ स्तम्भ सम्मिलित थे, प्राप्त करने के पश्चात् फरवरी 2012 में बंद कर दिया गया। मार्च 2024 तक निर्माण कार्य अधूरा रहा, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई

प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते समय, राज्य सरकार ने निर्देशित किया था कि सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा बिना

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए दिसंबर 2014[3] में कार्य पूर्णता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनवरी 2011 में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीयूएटी ने जनवरी से मार्च 2011 के मध्य तीन चरणों[4] में कार्यदायी संस्था को ₹ 53.28 करोड़ अवमुक्त किए। ततपश्चात् अप्रैल 2012 में परियोजना प्रबंधक, निर्माण और परिकल्प सेवायें द्वारा प्रस्तुत ₹ 105.94 करोड़ के विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष निदेशक, निर्माण एवं परिकपल सेवायें, उत्तर प्रदेश, जल निगम द्वारा परियोजना के लिए ₹ 89.24 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2013) प्रदान की गई। चूंकि प्रस्तावित विस्तृत प्राक्कलन (₹ 105.94 करोड़) प्रशासनिक स्वीकृति (₹ 89.24 करोड़) में अनुमोदित प्राक्कलन से ₹ 16.70 करोड़ अधिक था, अतः निदेशक, निर्माण और परिकल्प सेवायें ने परियोजना प्रबंधक को अनुमोदित प्राक्कलन में परियोजना पूर्ण करने का निर्देश दिया और शेष कार्य संशोधित प्राक्कलन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना था। इस प्रकार, कार्य शुरू होने के दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् अगस्त 2013 में तकनीकी स्वीकृति दी गई थी तथा तकनीकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत भी थे कि जिस धनराशि के लिए तकनीकी स्वीकृति दी जा रही थी वह विस्तृत प्राक्कलन की तुलना में अत्यल्प थी। धनराशि की कमी उद्धृत करते हुए फरवरी 2012 में कार्य बंद कर दिया गया था।

कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने में अनिर्णायक दृष्टिकोण

बीयूएटी के निर्माण कार्यों की समीक्षा कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत नए महाविद्यालय और विभाग खोलने के प्रस्तावों की जांच और अनुशंसा हेतु गठित एक विशेषज्ञ समिति[5] की बैठक (अप्रैल 2011) में की गई थी। प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान ने बैठक में सीएईटी भवन के केवल भूतल के निर्माण के लिए निर्देशित किया था और शेष निर्माण पर निर्णय महाविद्यालय में संचालित किये जाने वाले विभागों को अंतिम रूप देने के पश्चात् लिया जाना था। इस स्तर पर, सीएईटी भवन के

---

3 प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित जनवरी 2011 के शासकीय आदेश के अनुसार, कार्य जून 2011 तक पूरा किया जाना था।

4 ₹ 12.66 करोड़ प्रथम चरण में (जनवरी 2011), ₹ 19.31 करोड़ द्वितीय चरण में (मार्च 2011) और ₹ 21.31 करोड़ की तृतीय चरण में (मार्च 2011)।

5 महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद/प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान की अध्यक्षता में।

पाइलिंग कार्य पर ₹ 12 करोड़ (लगभग) का व्यय हो चुका था। इसके पश्चात्, कार्यदायी संस्था ने राज्य सरकार को सूचित किया (सितंबर 2011) कि भूतल का 50 प्रतिशत कार्य ₹ 25.31 करोड़ के व्यय के पश्चात् पूर्ण हो चुका है और कार्यदायी संस्था ने प्रथम तल के निर्माण की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया था। तथापि, शासन ने (अक्टूबर 2011) कुलपति, बीयूएटी को इस प्रकरण में अपने विचारों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अपनी रिपोर्ट (फरवरी 2012) में, कुलपति ने महाविद्यालय[6] में प्रोद्योगिकी के छह विषयों/शाखाओं को चलाने के लिए प्रथम तल के निर्माण की अनुशंसा की।

बाद में, शासन ने सीएईटी में चार पाठ्यक्रम[7] संचालित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2014) और स्थलीय निरीक्षण के बाद न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ एक समिति का गठन किया जिससे प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के निर्माण को पूर्ण करके शिक्षण कार्य आरम्भ किया जा सके। समिति की रिपोर्ट कुलपति द्वारा शासन को भेजी गई (अगस्त 2014) थी, जिसमें अनुशंसा की गई थी कि भवन के भूतल में चार स्नातक कार्यक्रम[8] चलाने के लिए पर्याप्त स्थान है और प्रथम तल पर पहले से निर्मित स्तंभों का उपयोग गुंबद के आकार का सभागार बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद यह प्रस्ताव, कार्यक्षेत्र तथा संशोधित ऑकलन पर बिना किसी निर्णय के कार्यदायी संस्था, बीयूएटी और राज्य सरकार के बीच पत्राचार के अधीन रहा।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बीयूएटी ने सीएईटी के भवन निर्माण कार्य को भूतल तक सीमित करते हुए राज्य सरकार को ₹ 95.54 करोड़ का संशोधित ऑकलन भेजा (फरवरी 2021)। तथापि, शासन ने कुलपति, बीयूएटी को निर्देश दिया (अक्टूबर 2021) कि प्राक्कलन को संशोधित करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि भूतल के सम्पूर्ण अनुमोदित प्राक्कलन को पूर्व में ही एकमुश्त स्वीकृति प्रदान किया जा चुका था इसलिए, कार्य पूर्ण किए बिना सम्पूर्ण धनराशी व्यय करने वालों का

---

[6] सीएईटी के तहत कृषि प्रौद्योगिकी, सिविल प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, खनन इंजीनियरिंग खोलने की सिफारिश की गई थी।

[7] मैकेनिकल, सिविल, कृषि प्रौद्योगिकी तथा एक अन्य।

[8] कृषि प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल प्रौद्योगिकी, सिविल प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी।

उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। शासन ने विश्वविद्यालय को मूल स्वीकृत लागत के भीतर भूतल के निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया। जबकि, कुलपति, बीयूएटी ने (नवंबर 2021) शासन को सूचित किया कि शासकीय स्तर पर जांच समिति का गठन किया जा सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय में कोई तकनीकी पद नहीं है। इसके बाद, शासन ने एक जांच समिति का गठन किया (जनवरी 2022) जिसने महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का दौरा किया (मई 2022) तथा निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई। समिति ने निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूरा करने की भी संतुति की।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि वित्तीय स्वीकृति को संशोधित किया गया था और घटाकर ₹ 53.28 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन संशोधित स्वीकृति आदेश में कार्य में कोई कमी नहीं दिखाई गई थी, इसलिए, कार्य भूतल और प्रथम तलों के पिछले ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार किया गया। राज्य सरकार ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय और कार्यदायी संस्था ने महाविद्यालय के निर्माण को पूरा करने के लिए शासन के साथ लगातार पत्राचार किया था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय और कार्यदायी संस्था के स्तर पर कोई शिथिलता नहीं बरती गयी और कार्य को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किए गए। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि फरवरी 2012 से धनराशि की कमी के कारण प्रस्तावित निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था और वर्तमान में ₹ 95.41 करोड़ के संशोधित आकलन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है (मार्च 2023) और परियोजना के लिए ₹ दो करोड़ अवमुक्त किए गए है।

तथ्य यह है कि सीएईटी में संचालित होने वाले विभागों के संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पहले कार्य प्रारंभ करने, कार्य की प्रगति सुनिश्चित किए बिना विभिन्न चरणों में धनराशि को अवमुक्त करने, विशेषज्ञ समिति की बैठक में निर्माण को केवल भूतल तक प्रतिबंधित करने हेतु लिए गए निर्णय का अनुपालन न करने के कारण, फरवरी 2012 से निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। इस प्रकार, परियोजना पर 51.90 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। कार्यदायी संस्था द्वारा दी गई सूचना (अप्रैल 2024) के अनुसार, राज्य सरकार

द्वारा अवमुक्त ₹ 57.28 करोड़[9] में से, मार्च 2025 में पूरा होने की संशोधित निर्धारित तिथि के सापेक्ष केवल 58 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के साथ ₹ 54.80 करोड़ व्यय किए गए थे। सीईएटी का निर्माण कार्य नौ वर्षों से अधिक समय और ₹ 54.80 करोड़ के व्यय के पश्चात भी अधूरा बना हुआ है, जिसके कारण परियोजना का अपेक्षित उद्देश्य अप्राप्त रहा।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.2: ₹42.02 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय

मांग सर्वेक्षण के बिना स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 680 फ्लैटों के निर्माण करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, 488 फ्लैटों का निर्माण स्टिल्ट स्तर पर अधूरा छोड़ देने के परिणामस्वरूप परित्यक्त अपूर्ण संरचना पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी हो गया।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने समाजवादी आवास योजना[10] के अन्तर्गत 2,344[11] फ्लैटों और स्व-वित्तपोषित योजना-2015 समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 480[12] फ्लैटों सहित सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में स्थित अवध विहार योजना के सेक्टर-7डी में बहु-मंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए एक परियोजना को स्वीकृति[13] (मार्च 2015) दी। इन फ्लैटों के निर्माण के लिए, अधीक्षण अभियंता (परियोजना), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ₹ 482.62 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (अप्रैल 2015) प्रदान की गई थी।

अधिशाषी अभियंता, निर्माण खण्ड-08, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2022) और वहाँ से एकत्र की गई सूचना (मार्च 2023) में पाया गया कि परियोजना को कार्य स्थल

---

[9] राज्य सरकार ने फरवरी 2011 में ₹ 53.28 करोड़, मार्च 2023 में ₹ दो करोड़ और नवंबर 2023 में ₹ दो करोड़ स्वीकृत किए थे।

[10] उत्तर प्रदेश शासन ने वहनीय आवास नीति के तहत समाजवादी आवास योजना शुरू की (दिसंबर 2014) जिसे निजी विकासकर्ताओं के साथ-साथ विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और राज्य सरकार के अन्य संस्थानों द्वारा लागू किया जाना था।

[11] 1 बी.एच.के. (ई.डब्ल्यू.एस.)-880; 1 बी.एच.के (एल.आई.जी. टाइप ए)-528; 2 बी.एच.के (एल.आई.जी. टाइप बी)-936।

[12] 2 बीएचके (एमआईजी)-336; 3 बीएचके (एचआईजी)-144।

[13] 26 मार्च 2015 को आयोजित बोर्ड की 232वीं बैठक में।

पर व्यवहार्य क्षेत्रों के दृष्टिगत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 1,960 फ्लैटों एवं स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 680 फ्लैटों के निर्माण के लिए संशोधित (नवंबर 2015) किया गया था। इन बहुमंजिला आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए एक ठेकेदार के साथ ₹ 525.29 करोड़ का एक अनुबंध गठित (जनवरी 2016) किया गया था तथा कार्य जुलाई 2018 की समाप्ति की तिथि के साथ जनवरी 2016 में आरंभ किया गया था। संशोधित परियोजना को सितंबर 2016 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था और संशोधित परियोजना के लिए ₹ 587.82 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नवंबर 2016 में प्रदान की गई थी।

अग्रेतर जांच से पता चला कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद[14] ने स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों जिनमें खरीददारों का पंजीकरण नगण्य था और निर्माण शुरू नहीं किया गया था अथवा जहां निर्माण प्लिंथ के साथ स्टिल्ट स्तर तक था, के निर्माण को रोकने का निर्णय लिया (जुलाई 2017)। तदनुसार, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अवध विहार योजना में प्लिंथ/स्टिल्ट स्तर तक निर्मित 488 स्व-वित्तपोषित योजना के फ्लैट के निर्माण कार्य को रोक दिया (जुलाई 2017), जिस पर ₹ 42.02 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था। जुलाई 2022 में किए गए एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि निर्माणाधीन फ्लैटों की लोहे की छड़ों में खुले एवं वायुमंडल के संपर्क के कारण जंग लग रही थी **(चित्र-3.2.1 और 3.2.2)**।

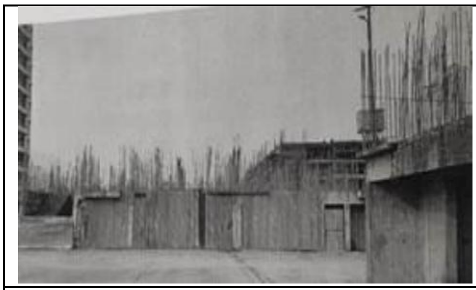

चित्र -3.2.1

चित्र-3.2.2

[14] 6 जुलाई 2017 को आयोजित बोर्ड की 242वीं बैठक में।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने आगे सूचित किया (फरवरी 2024) कि स्व-वित्तपोषित और समाजवादी आवास योजनाओं के अन्तर्गत फ्लैटों की संख्या निर्धारित करने से पहले स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के निर्माण के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, मांग की कमी को देखते हुए 488 फ्लैटों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था और इस अधूरे निर्माण पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी हो गया था, जिसे भविष्य में निष्फल होने से इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि लखनऊ में अवध विहार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 1,960 फ्लैटों और स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 192 फ्लैटों में से, क्रमशः 607 समाजवादी आवास योजना के फ्लैट और 170 स्व-वित्तपोषित योजना के फ्लैट फरवरी 2024 तक रिक्त/अविक्रित रहे। ₹ 260.47 करोड़[15] की लागत से निर्मित इन 777 रिक्त/अविक्रित फ्लैटों का भविष्य भी मांग की कमी के कारण अनिश्चित था। यद्यपि, स्व-वित्तपोषित योजना के 96 फ्लैट डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ को किराए[16] पर दे दिए गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद द्वारा पूर्व में प्रदान किए गए उत्तर/सूचना (जनवरी 2023) को अग्रेषित (जून 2023 और सितंबर 2023) करते हुए उत्तर दिया कि स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 488 अपूर्ण फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था और स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 96 अविक्रित फ्लैटों को किराए पर दिया गया था।

---

15 ₹19.23 लाख रुपए की दर से 408 फ्लैट, ₹25.20 लाख रुपए की दर से 63 फ्लैट, ₹36.50 लाख रुपए की दर से 136 फ्लैट, ₹54.74 लाख रुपए की दर से 74 फ्लैट, ₹79.15 लाख रुपए की दर से 96 फ्लैट।

16 जनवरी 2021 में चालीस फ्लैटों को किराए पर दिया गया था और फरवरी 2022 में 56 फ्लैटों को ₹13000 प्रति माह की दर से किराए पर दिया गया था।

तथ्य यह है कि बिना मांग सर्वेक्षण के उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अवध विहार योजना में बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के कारण योजना के अन्तर्गत क्रेताओं का पंजीकरण कम हुआ परिणामतः 488 फ्लैटों के निर्माण को स्टिल्ट स्तर पर रोक दिया गया जिससे इस अपूर्ण निर्माण पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग

3.3: गृह कर के बकाया पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

गृह कर के बकाया पर ब्याज के कारण ₹ 81.30 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 और 173 नगर निगमों को शहर में भवनों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार देती है। अग्रेतर धारा 221-ए नगर निगम को संपत्ति कर के बकाया पर ब्याज लगाने का अधिकार देती है।

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (बीआरडीएमसी), गोरखपुर के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2020) और वहाँ से अग्रेतर संकलित सूचना (दिसंबर 2022, जनवरी 2024 और मई 2024) से विदित हुआ कि नगर निगम (एनएन), गोरखपुर ने प्रधानाचार्य, बीआरडीएमसी से भूमि/भवन निर्माण लागत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (नवंबर 2013), ताकि कर का आकलन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत किया जा सके। हालांकि, प्रधानाचार्य, बीआरडीएमसी ने मेडिकल कॉलेज के भवनों पर कर लगाने का विरोध किया (दिसंबर 2013) जिसमें कहा गया था कि यह एक शासकीय संस्थान है जिसका अपना परिसर है और एनएन द्वारा परिसर में कोई काम नहीं किया जा रहा है। बीआरडीएमसी ने यह भी तर्क दिया कि कॉलेज 1972 से चल रहा था, लेकिन एनएन द्वारा आज तक कर का आकलन नहीं किया गया। हालांकि, एनएन ने बीआरडीएमसी को स्पष्ट किया (जनवरी 2014) कि एनएन की सीमा में सभी प्रकार के भवनों पर कर का

आकलन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत अनिवार्य था और नियम के अनुसार, एनएन ने किसी भी संस्थान के परिसर के अंदर सुविधा प्रदान नहीं की थी।

अग्रेतर जांच में पाया गया कि एनएन ने पहली बार ₹ 141.66 लाख की गृह कर की मांग उठाई (अप्रैल 2015) जिसमें वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 63.52 लाख का गृह कर, मार्च 2015 तक ₹ 63.52 लाख का बकाया और उस पर ब्याज शामिल था। तदोप्रान्त एनएन ने गृह कर के भुगतान के लिए बीआरडीएमसी को एक अनुस्मारक निर्गत किया (मार्च 2016)। हालांकि, प्रिंसिपल, बीआरडीएमसी ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि कॉलेज के विरोध को दिसंबर 2013 में एनएन को सूचित किया गया था और इसने एनएन से किसी अन्य शासकीय संस्थान/विभाग जिनके पास अपना परिसर है, द्वारा किये गए गृह कर की मांग के लिए आधार के साथ-साथ भुगतान के रसीदों की प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था। एनएन ने वर्ष 2016-17 (पिछले बकाया सहित) के लिए ₹ 2.25 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 3.15 करोड़ (पिछले बकाया सहित) गृह कर की मांग में क्रमशः अप्रैल 2016 और अप्रैल 2017 में वृद्धि की। गृह कर की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानाचार्य, बीआरडीएमसी ने गृह कर के भुगतान के लिए धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त करने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण (डीजीएमईटी) से अनुरोध किया (अप्रैल 2017, अक्टूबर 2017 और जुलाई 2018)।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि बीआरडीएमसी ने मार्च 2018 में ₹ 1.21 करोड़ की धनराशि के गृह कर के पहले भाग का भुगतान किया था और तत्पश्चात, सितंबर 2018 और फरवरी 2019 के मध्य ₹ 1.97 करोड़[17] का भुगतान किया गया था। अंत में, बीआरडीएमसी ने वर्ष 2019-20 तक देय गृह कर और ब्याज की धनराशि ₹ 1.45 करोड़ का पूर्ण भुगतान[18] सितंबर 2019 में किया और तत्पश्चात

[17] 5 सितंबर 2018 (₹ 5.50 लाख), 28 सितंबर 2018 (₹ 5.00 लाख) और 7 फरवरी 2019 (₹ 186.02 लाख) इसमें 7 फरवरी 2019 को भुगतान की गई ₹ 73,01,350 की ब्याज शामिल थी।

[18] सितंबर 2019 में ₹ 144.83 लाख का कुल भुगतान जिसमें ₹ 8,28,723 का ब्याज शामिल था।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के गृह कर का भुगतान यथासमय किया गया।

इस प्रकार, एनएन, गोरखपुर द्वारा लगाए गए गृह कर के समय पर भुगतान में बीआरडीएमसी की विफलता के परिणामस्वरूप गृह कर बकाया पर ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। बीआरडीएमसी को नवंबर 2013 में एनएन द्वारा लगाए जाने वाले गृह कर देयता के बारे में पता था, लेकिन धन के आवंटन के प्रयास विलम्ब से अप्रैल 2017 में किए गए थे। इसके साथ ही, डीजीएमईटी ने गृह कर बकाया चुकाने के लिए बीआरडीएमसी को पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया। परिणामस्वरूप, बीआरडीएमसी को गृह कर बकाया के भुगतान में विलंब के लिए ₹ 81.30 लाख[19] के ब्याज के भुगतान पर परिहार्य व्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, बीआरडीएमसी ने अभी तक एनएन को संपत्ति का विवरण प्रदान नहीं किया था, इस प्रकार, संपत्ति का वार्षिक मूल्य जिसके आधार पर एनएन द्वारा गृह कर लगाया गया था, तदर्थ रहा।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2023); उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2024)।

[19] वर्ष 2017-18 तक के लिए फरवरी 2019 में भुगतान किया गया ₹ 73,01,350 का ब्याज और वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सितंबर 2019 में भुगतान किया गया ₹ 8,28,723 का ब्याज।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4: डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट का संचालन न होने के कारण अलाभकारी व्यय

दिसंबर 2016 में भवन निर्माण के बावजूद डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के संचालन हेतु राज्य सरकार मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके परिणामस्वरूप भवन के निर्माण और उपकरणों / साज-सज्जा के क्रय पर किया गया ₹ 1.96 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी हुआ।

उत्तर प्रदेश शासन ने (नवंबर 2012) डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद के परिसर में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट भवन के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड[20] को कार्यदायी संस्था नामित किया। कार्यदायी संस्था द्वारा रू. 153.26 लाख की लागत से प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट भवन का निर्माण पूरा होने के बाद, इसे चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सौंप दिया गया (दिसंबर 2016)। इस बीच, राज्य सरकार ने हाल ही में स्थापित प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट को शुरु करने के लिए मानव संसाधनों/पदों का एक मानक निर्गत किया (मार्च 2016) जिसमें प्लास्टिक सर्जन (एक पद), जनरल सर्जन (दो पद), कैजुअलिटी चिकित्सा अधिकारी (तीन पद) और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ (16 पद) की आवश्यकता का प्रावधान है। मार्च 2016 के शासकीय आदेश में यह भी प्रावधान किया गया कि इन मानकों के निर्धारण को पदों के सृजन, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था, के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद (सीएमएस) के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (सितंबर 2022) से पता चला है कि सीएमएस ने महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (डीजीएमएचएस) को सूचित किया (जून 2018) कि प्लास्टिक सर्जरी

[20] इसे पैकफेड के रूप में भी जाना जाता है।

और बर्न यूनिट अस्पताल में स्थापित की गई थी, लेकिन मानव संसाधन और फर्नीचर/उपकरण की कमी के कारण इसे संचालित नहीं किया जा सका। तत्पश्चात, चिकित्सालय में नवनिर्मित प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के उपकरण और साज-सज्जा के लिए ₹ 70.90 लाख का प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्रदान (दिसंबर 2020) किया गया। प्रशासनिक अनुमोदन में निर्देशित किया गया था कि उपकरण की स्थापना से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके संचालन के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं।

स्वीकृत धनराशि ₹ 70.90 लाख में से, डीजीएमएचएस ने उपकरण/ फर्नीचर की खरीद के लिए सीएमएस को ₹ 42.90 लाख उपलब्ध कराये (जनवरी 2021)। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमएससीएल) को ₹ 28 लाख की अवशेष स्वीकृत धनराशि से प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएमएस ने उपकरण और प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट की फर्निशिंग पर ₹ 39.32 लाख रुपये का व्यय किया (मार्च 2021) और यूपीएमएससीएल द्वारा चिकित्सालय को ₹ 3.46 लाख रुपये के उपकरण की आपूर्ति (जुलाई 2021) की गई थी। हालांकि, चिकित्सालय के मुख्य फार्मासिस्ट के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक संयुक्त निरीक्षण (5 सितंबर 2022) में यह पाया गया कि प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट पर ताला लगा हुआ था एवं अक्रियाशील था, इसकी सतह मकड़ी के जालों से ढकी थी जो दर्शाता है कि इसे काफी समय से खोला नहीं गया था, यूनिट के लिए खरीदे गए उपकरण और फर्नीचर को स्थापना के लिए भी खोला नहीं गया था, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है।

चित्र 34.1-प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट	चित्र 34.2-उपकरण और फर्नीचर	चित्र 34.3-उपकरण और फर्नीचर

चित्र 34.4 - सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन और सक्शन सिस्टम

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि डीजीएमएचएस ने डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल, फर्रुखाबाद में नई स्थापित प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए पदों के सृजन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था (अप्रैल 2023)। सितंबर 2023 में शासन द्वारा पदों के सृजन की मंज़ूरी दी गयी थी, हालांकि स्वीकृत पदों के सापेक्ष जनशक्ति की तैनाती नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2016 में भवन हस्तगत होने के पश्चात भी चिकित्सालय में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट अक्रियाशील रही।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (मई 2023) कि डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट का उपयोग उपकरण और साज-सज्जा की अनुपलब्धता के कारण आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया जा रहा था। चिकित्सालय की प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए उपकरण खरीदे गए थे। वर्तमान में, यह स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से नवंबर 2021 से क्रियाशील था और 34 रोगियों का इलाज किया गया था। हालांकि, मानव संसाधन की कमी के कारण, प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट को पूरी तरह से संचालित नहीं किया जा

सका। जले हुए रोगियों का उपचार चिकित्सालय में तैनात जनरल सर्जन द्वारा किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सितंबर 2022 में लेखापरीक्षा के संयुक्त निरीक्षण से स्पष्ट था कि प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट क्रियाशील नहीं थीं और उपकरणो को खोला नहीं गया था। लेखापरीक्षा द्वारा चिकित्सालय के एक और संयुक्त निरीक्षण (सितंबर 2023) से ज्ञात हुआ कि प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट में मानवशक्ति की तैनाती नहीं की गई थी, क्रय किये गए उपकरण और साज-सज्जा स्थापित नहीं किए गए थे, बाथरूम में वॉश बेसिन और टॉयलेट शीट का कोई संयोजन नहीं था, बर्न यूनिट के भूतल का उपयोग आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया जा रहा था और पहली मंजिल का उपयोग सामान्य रोगियों के लिए किया जा रहा था। सीएमएस ने आगे पुष्टि की (सितंबर 2023 और जून 2024) कि बर्न यूनिट क्रियाशील नहीं थी, और संबंधित वार्डों में भीड़ के कारण यूनिट के वार्डों का उपयोग सामान्य रोगियों के लिए किया जा रहा था क्योंकि आवश्यक मानवशक्ति की तैनाती नहीं की गई थी और खरीदे गए उपकरण स्थापित नहीं किए गए थे। सीएमएस ने आगे कहा (जून 2024) कि चिकित्सालय में तैनात सामान्य सर्जन की सेवानिवृत्ति (जून 2023) के बाद, साक्षात्कार के माध्यम से दो अन्य सर्जन तैनात किए गए और उनके द्वारा बर्न यूनिट में आंशिक रुप से जले मामलों का उपचार किया जा रहा था, जबकि गंभीर रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थानों को संदर्भित किया जा रहा था। इस प्रकार, डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद में भवन निर्माण और उपकरणों के क्रेय और प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के लिए साज-सज्जा पर किए गए ₹ 1.96 करोड़ का व्यय, इसके संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता के कारण अलाभकारी रहा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें विभाग

3.5: सौर ऊर्जा आधारित पावर बैकअप प्रणाली पर अलाभकारी व्यय ।

विभागीय शिथिलता एवं कार्यदायी संस्था की निष्क्रियता के कारण, केंद्रीय कारागार, बरेली में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों को पावर बैकअप प्रदान करने हेतु स्थापित सौर ऊर्जा आधारित बैकअप प्रणाली के पांच वर्षों के बाद भी अक्रियाशील रहने के कारण बैकअप प्रदान करने का उद्देश्य विफल रहा। अतः उपकरणों की स्थापना पर किया गया ₹ 1.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी हो गया।

राज्य सरकार ने कारागारों में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों के निर्बाध संचालन के लिए केन्द्रीय कारागार, बरेली में सौर ऊर्जा-आधारित पावर बैकअप प्रणाली की स्थापना हेतु ₹ 1.95 करोड़ स्वीकृत (जून 2017) किया। राज्य सरकार ने पीईसी लिमिटेड[21] को कार्य निष्पादन हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया। कार्यदायी संस्था एवं कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं के मध्य कार्य के लिए एक अनुबंध निष्पादित (जुलाई 2017) किया गया । जिसमें निर्धारित किया गया था कि (i) सौर ऊर्जा आधारित बिजली बैकअप के उपकरणों की वारंटी अवधि की वैधता उपकरण के संतोषजनक प्रवर्तन की तारीख से पांच वर्ष होगी। (ii) पीईसी लिमिटेड शिकायत के 24 घंटे के भीतर बिजली बैकअप प्रणाली में किसी भी दोष को सुधारने के लिए उत्तरदायित्व होगा जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और (iii) महानिरीक्षक, कारागार के पक्ष में कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरण की लागत के 10 प्रतिशत एवं उपकरण के 60 महीने की वारंटी अवधि की वैधता अवधि के बराबर अवधि की निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान की जाएगी।

कारागार मुख्यालय द्वारा निर्गत किए गए कार्य आदेश (जून 2017) में प्रावधान किया गया था कि कार्यदायी संस्था जल्द से जल्द पावर बैकअप प्रणाली की आपूर्ति करेगा, जो किसी भी स्थिति में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा। बाद में कार्य में विलम्ब को देखते हुए, कारागार मुख्यालय ने कार्यदायी संस्था को मार्च 2018 तक स्थापना का कार्य पूरा करने का

[21] भारत शासन का उद्यम (पूर्व में परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड)।

निर्देश दिया। कारागार मुख्यालय ने ₹ 1.95 करोड़ की स्वीकृत धन राशि कार्यदायी संस्था को दो किस्तों[22] में प्रदान किया।

वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, बरेली के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2022) एवं अग्रेतर एकत्र की गयी सूचना (दिसंबर 2022, जनवरी/मार्च 2023 एवं अप्रैल 2024) से ज्ञात हुआ कि कार्यदायी संस्था ने मार्च 2018 में कारागार को उपकरण की आपूर्ति की थी, लेकिन इसे मई 2019 में सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली के स्थापना कार्य को पूरा करने के बाद, अर्थात स्थापना की निर्धारित तिथि (मार्च 2018) के 13 महीने बाद, क्रियाशील किया गया। जबकि, सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली ने स्थापना प्रक्रिया के पूर्ण होने के दो महीने बाद ठीक से काम करना बंद (जुलाई 2019) कर दिया एवं पावर बैकअप की अवधि बहुत कम (केवल 15 से 20 मिनट) थी। परिणामस्वरूप, बिजली कटौती के दौरान जैमर अक्रियाशील रहते थे।

वरिष्ठ कारागार अधीक्षक ने सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली के असंतोषजनक क्रियाशीलता के बारे में कार्यदायी संस्था को अनुरोध (जुलाई 2019) किया। सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली को पूर्णतः क्रियाशील करने हेतु वरिष्ठ कारागार अधीक्षक द्वारा किये गए कई अनुरोधों[23] के बाद कार्यदायी संस्था के एक प्रतिनिधि ने स्थापना की तिथि से एक वर्ष बाद कारागार परिसर का भ्रमण (जून 2020) किया परन्तु उन्होंने समस्या का निवारण नहीं किया एवं सूचित किया कि सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली की अधिकांश बैटरी खराब हैं तथा सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली को क्रियाशील बनाने के लिए उन्हें बदलने की आवश्यकता है। वरिष्ठ कारागार अधीक्षक के पुनः अनुरोधों (जून और जुलाई 2020) के बाद, कार्यदायी संस्था के एक प्रतिनिधि ने फिर से सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली का निरीक्षण (जुलाई 2020) किया और पाया कि सात बैटरी पूरी तरह से खराब थीं और अधिकांश बैटरी में कम वोल्टेज की समस्या थी। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने एक बैटरी बैंक की बैटरियों को बदलने के लिए भेजा और शेष दो बैटरी बैंकों की बैटरियों को 15 दिनों के लिए बिना लोड के बूस्ट चार्ज देने के लिए रखा गया। अगस्त 2020 में, सोलर पावर बैकअप प्रणाली को दो बैटरी बैंकों के साथ

[22] अक्टूबर 2017 और मार्च 2018।

[23] अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च और जून 2020।

पुनर्स्थापित किया गया जो चार घंटे का पावर बैकअप दे रही थी। जबकि, मई 2021 में पाया गया कि बिजली कटौती के दौरान मोबाइल फोन जैमर सौर प्रणाली पर काम नहीं कर रहे थे। वरिष्ठ कारागार अधीक्षक द्वारा कार्यदायी संस्था को दोष के बारे में सूचित (मई 2021) किया गया। अगस्त 2021 में, कार्यदायी संस्था के एक प्रतिनिधि ने फिर से निरीक्षण किया और पाया कि बैटरियां काम नहीं कर रही थीं परन्तु इस समस्या का समाधान नहीं किया गया । अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया कि कार्यदायी संस्था[24] से अनेक अनुरोधों के उपरान्त भी मार्च 2023 तक पावर बैकअप प्रणाली अक्रियाशील रही।

राज्य सरकार ने उत्तर (सितंबर 2023) में कारागार मुख्यालय के उत्तर (मार्च 2023) को यह कहते हुए अग्रेषित किया कि पीईसी से बरेली के केंद्रीय कारागार में सौर ऊर्जा आधारित पावर बैकअप प्रणाली की मरम्मत करने का अनुरोध किया गया था। कारागार मुख्यालय ने अवगत कराया कि कार्यदायी संस्था से निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि कार्यदायी संस्था ने शासकीय सार्वजनिक उपक्रमों को बैंक गारंटी देने से दी गई छूट के बारे में सूचित किया था। जबकि, कारागार मुख्यालय ने बाद में अवगत कराया (फरवरी 2024) कि इस मामले को कार्यदायी संस्था के प्रशासकीय मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत शासन के साथ नहीं उठाया गया क्योंकि पीईसी ने वित्तीय नुकसान के कारण सितंबर 2019 से वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर दिया था। वरिष्ठ कारागार अधीक्षक, बरेली ने अग्रेतर अवगत कराया (अप्रैल 2024) कि सौर ऊर्जा आधारित पावर बैक अप प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण मोबाइल फोन जैमर बिजली कटौती के कुछ मिनट बाद काम करना बंद कर देते हैं।

इस प्रकार, कार्यदायी संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई न करने, वारंटी अवधि[25] के लिए निष्पादन बैंक गारंटी की मांग नहीं करने एवं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यदायी संस्था की ओर से शिकायत के 24 घंटे के भीतर दोषों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने में अक्रियाशीलता एवं

[24] 28 अगस्त 2021 और 22 जनवरी 2022।

[25] सौर ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और क्रियाशील होने तक बैंक गारंटी के बदले पीईसी द्वारा प्रदान किया गया क्षतिपूर्ति बांड (जुलाई 2017) लागू रहा।

विभागीय शिथिलता के कारण सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली को स्थापित करने के पांच साल बाद भी बिजली कटौती के दौरान मोबाइल जैमरों को बिजली बैकअप प्रदान हेतु क्रियाशील नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, सौर ऊर्जा बैकअप प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका और सौर प्रणाली के उचित क्रियान्वयन के बिना प्रणाली की वारंटी अवधि समाप्त हो गयी। अतः सौर प्रणाली की स्थापना पर किया गया ₹ 1.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

3.6: महिला छात्रावास भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

शासकीय पॉलिटेक्निक में सात महिला छात्रावासों को उनके हस्तांतरण के दो से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी क्रियाशील नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, इनकी स्वीकृति के सात साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी, तीन पूर्ण हो चुके छात्रावास अभी भी हस्तांतरित नहीं किये जा सके और एक छात्रावास का निर्माण अभी भी अपूर्ण है, जिसके कारण इनके निर्माण पर किया गया ₹ 21.22 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

शहर से दूर स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक में और किराए के भवनों की कम उपलब्धता वाले स्थानों में छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने महिला छात्रावास विहीन 15 शासकीय पॉलिटेक्निकों[26] के लिये 60 छात्राओं की क्षमता वाले प्रत्येक छात्रावास की मानकीकृत लागत ₹ 141.41 लाख पर 15 महिला छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ 21.21 करोड़ स्वीकृत (अगस्त 2016) किये। शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ[27] और उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड को क्रमशः आठ[28] छात्रावास भवनों और सात[29] छात्रावास भवनों के निर्माण

---

[26] आजमगढ़, बलिया, बांदा, बस्ती, गोंडा, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, मैनपुरी, ओरई जालौन, सिद्धार्थनगर, सोनभद्रा, टुंडाला फिरोजाबाद, वाराणसी और शासकीय चमड़ा संस्थान (जीएलआई), कानपुर नगर में शासकीय पॉलीटेक्निक।

[27] पूर्व में पैकफेड के रूप में नामित।

[28] जीपी आजमगढ़, बांदा, बल्लिया, बस्ती, गोंडा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और वाराणसी में महिला छात्रावास।

के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (अगस्त 2016)। अग्रेतर, शासकीय चमड़ा संस्थान, कानपुर नगर[30] के छात्रावास को छोड़कर, 14 छात्रावासों के निर्माण के लिए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को अगस्त 2016 और फरवरी 2018 के मध्य तीन किश्तों में ₹20.50 करोड़ निर्गत किए गए थे। बाद में शासन द्वारा मार्च 2018 और मार्च 2021 के मध्य इन 15 महिला छात्रावासों के निर्माण की लागत का पुनरीक्षित ऑकलन ₹ 28.95 करोड़ स्वीकृत किया गया था। ₹8.45 करोड़ की अवशेष धनराशि जून 2018 और मार्च 2022 के मध्य निर्गत की गई ***(परिशिष्ट 3.1)***।

शासकीय पॉलीटेकनिक उरई, जालौन के अभिलेखों की जाँच (नवंबर 2019) और निदेशक, प्राविधिक शिक्षा से एकत्र की गयी सूचनाओं (दिसंबर 2021, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022) से पता चला कि कार्यदायी संस्था और विभाग के मध्य कार्य की समयसीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुबंध/समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया गया था। कार्य पूर्णता की निर्धारित अवधि न तो शासन द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन में तय की गई थी और न ही विभाग द्वारा निर्धारित की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 15 महिला छात्रावास भवनों के निर्माण पर ₹ 28.92 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये थे। मई और जून 2023 के मध्य लेखापरीक्षा दल द्वारा सभी 15 महिला छात्रावासों का एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था और इन छात्रावासों के संचालन के बारे में अग्रेतर सूचनायें संबंधित शासकीय पॉलीटेक्निक ***(परिशिष्ट 3.2)*** से एकत्र की गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 15 महिला छात्रावास भवनों में से 14 का निर्माण पूरा हो

---

[29] जीपी फिरोजाबाद, हमीरपुर, उरई जालौन, कानपुर देहात, मैनपुरी, सोनभद्र और जीएलआई, कानपुर नगर में महिला छात्रावास।

[30] 15 छात्रावासों में से प्रत्येक के लिए ₹ 56.56 लाख रुपये की दर से ₹ 8.48 करोड़ रुपये की पहली किस्त (अगस्त 2016), 15 छात्रावासों में से प्रत्येक के लिए ₹ 14.14 लाख रुपये की दर से ₹ 2.12 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त (सितंबर 2016) और अगस्त 2017 से फरवरी 2018 के बीच 14 छात्रावासों के लिए ₹ 70.71 लाख रुपये की दर से ₹ 9.90 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त। जीएलआई कानपुर में शेष एक छात्रावास के लिए ₹ 1.06 करोड़ की तीसरी किस्त मार्च 2022 में अवमुक्त की गई थी।

गया था और 14 में से 11 पूर्ण छात्रावास भवनों को अगस्त 2018 और जून 2022 के मध्य संबंधित शासकीय पॉलीटेक्निक को हस्तांतरित कर दिये गये थे। 11 हस्तांतरित महिला छात्रावासों में से, केवल तीन[31] को क्रियाशील किया गया था और छात्राओं को आवंटित किया गया था। जबकि एक अन्य महिला छात्रावास32 क्रियाशील तो किया गया था परंतु बालक छात्रावास के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, 11 महिला छात्रावास निम्नलिखित कारणों से उनकी स्वीकृति के सात साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी असंचालित/अपूर्ण रहे:

- तीन[33] [8] महिला छात्रावास भवन पूर्ण हो गये थे परंतु हस्तांतरित नहीं किए गए थे क्योंकि शासकीय पॉलीटेक्निक में अन्य भवनों का निर्माण अधूरा था और विशेष जांच दल द्वारा जांच के अधीन थे।
- शासकीय चमड़ा संस्थान, कानपुर नगर में एक महिला छात्रावास अभी भी चयनित निर्माण स्थल पर मौजूदा जर्जर भवन को ध्वस्त करने में देरी के कारण अपूर्ण था, जिसने छात्रावास के निर्माण में आगे भी विलंब किया।
- यद्यपि सात[34] महिला छात्रावास कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित शासकीय पॉलीटेक्निक को हस्तानंतरित कर दिए गए थे फिर भी विभिन्न कारणों, जैसे फर्नीचर की अनुपलब्धता, सुरक्षा कारण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित है, से छात्रावास में रहने के लिए लड़कियों की अनिच्छा के कारण क्रियाशील नहीं किये जा सके थे।

---

[31] जीपी गोंडा (अगस्त 2019 में सौंपा गया), कुशीनगर (अक्टूबर 2019 में सौंपा गया) और मैनपुरी (जून 2019 में सौंपा गया) में महिला छात्रावास क्रियाशील थे।

[32] जीपी फिरोजाबाद का महिला छात्रावास (अगस्त 2018 में सौंपा गया)।

[33] जीपी आजमगढ़, बलिया और वाराणसी में महिला छात्रावास।

[34] जीपी बांदा, बस्ती, हमीरपुर, कानपुर देहात, उरई जालौन, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में महिला छात्रावास।

इस प्रकार, महिला छात्रावास के निर्माण का उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, असंचालित 11 महिला छात्रावासों[35] के निर्माण पर किए गए ₹ 21.22 करोड़[36] का व्यय अलाभकारी रहा।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने कहा (सितंबर 2022) कि छात्रावासों के पूरा होने की निर्धारित अवधि विभाग/शासन द्वारा तय नहीं की गई थी और कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन करने के निर्देश स्वीकृति के समय अस्तित्व में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने उत्तर में कहा (फरवरी 2024) कि इन 15 पॉलिटेक्निक में छात्रावासों का निर्माण एक प्राथमिकता थी, जिसमें कोई महिला छात्रावास नहीं था, शहरों से दूर थे और किराए के आधार पर आवास की उपलब्धता कम थी। कार्यदायी संस्था द्वारा सौंपे गए 11 छात्रावासों में से, 10 छात्रावासों में फर्नीचर प्रदान कर दिये गये थे और शेष एक शासकीय पॉलीटेक्निक बांदा के छात्रावास में फर्नीचर के लिए धन की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत कर दी गयी थी। विगत एवं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शासकीय पॉलीटेक्निक में छात्राओं के प्रवेश में कमी थी, जबकि, भविष्य में प्रवेश में वृद्धि के पश्चात छात्रावासों से छात्राओं को लाभ होगा। राज्य सरकार ने आगे कहा कि 15 छात्रावासों में से 11 छात्रावासों को सौंप दिया गया और उन्हें क्रियाशील कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त आगे की सूचनाओं (मई 2024) से पता चला कि 11 सौंपे गए छात्रावासों में से केवल चार ही क्रियाशील थे, और इसमें भी एक छात्रावास का उपयोग बालकों के छात्रावास के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कारणों और सुविधाओं की कमी के कारण छात्राओं की भी इन छात्रावासों में रहने में कोई रुचि नहीं थी, जिसके लिए शासन द्वारा इन छात्रावासों

---

[35] संबंधित जीपीएस को सौंप दिया गया- सात छात्रावास, कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक सौंपे नहीं गए- तीन छात्रावास, अपूर्ण - एक छात्रावास।

[36] जीपी आजमगढ़: ₹ 204.75 लाख; जीपी बांदा: ₹ 243.11; जीपी बल्लिया: ₹ 224.48 लाख; जीपी बस्ती: ₹ 182.32 लाख; जीपी हमीरपुर: ₹ 178.46 लाख; जीपी ओरई जालौन: ₹ 185.66 लाख; जीपी कानपुर देहात: ₹ 187.26 लाख; जीपी सिद्धार्थनगर: ₹ 181.66 लाख; जीपी सोनभद्रा: ₹ 179.45 लाख; जीपी वाराणसी: ₹ 178.36 लाख; जीएलआई कानपुर नगर: ₹ 176.87 लाख।

के संचालन के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, इन छात्रावासों के निर्माण के लिए किसी भी समय सीमा के निर्धारण के अभाव के कारण, एक महिला छात्रावास को अभी भी पूर्ण किया जाना शेष था और तीन पूर्ण छात्रावासों को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

3.7: हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन भवन पर अलाभकारी व्यय

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के लिए भवन निर्माण कार्य पर किए गए ₹ 8.37 करोड़ का व्यय पर्याप्त निधि निर्गत करने में विलंब के कारण अलाभकारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2021 से कार्य रोक दिया गया।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो पात्र राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, का उद्देश्य राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षा के नियोजित विकास के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार करना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान[37], कानपुर को हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के लिए ₹ 55 करोड़ अनुमोदित (सितंबर 2015) किये। ₹12.65 करोड़ रुपये की लागत से 4,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण के साथ अनुमोदित निधि (₹ 55 करोड़), जिसमें संकाय, अनुसंधान अध्येताओं और छात्रों के लिए बैठने की जगह की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था।

---

[37] हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान, कानपुर एक बहु-अनुशासनात्मक कॉलेज है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मानविकी में पाठ्यक्रम हैं।

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2021) से पता चला है कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नामित किया (सितंबर 2016)। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए ₹ 20.76 करोड़ का आकलन प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2016)। हालांकि, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए ₹ 16.25 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2017) और ₹ 6.50 करोड़ की पहली किस्त अवमुक्त की। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के बीच एक अनुबंध (मार्च 2017) निष्पादित किया गया था और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को 6.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया (मार्च 2017)। अनुबंध के अनुसार, काम शुरू होने की तारीख से 22 माह के भीतर काम पूरा करना था। हालांकि, एजेंसी ने अगस्त 2017 तक काम शुरू नहीं किया था और इसलिए, राज्य सरकार (सितंबर 2017) ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को ₹ 6.50 करोड़ की अवमुक्त धनराशि में से व्यय न करने और निर्माण को अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, छह महीने के बाद, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी (अप्रैल 2018)। इस प्रकार, मई 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन का निर्माण शुरू किया गया था, अर्थात कार्य की मंजूरी की तारीख से 16 महीने और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को निधि (मार्च 2017) अवमुक्त होने के 14 महीने विलंब से।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने जनवरी 2019 तक ₹ 4.89 करोड़ का व्यय किया और इलेक्ट्रॉनिक्स

इंजीनियरिंग विभाग भवन[38] के लिए ₹ 12.65 करोड़ के संशोधित आकलन के सापेक्ष ₹ 6.15 करोड़[39] की शेष निधि प्रदान करने हेतु अनुरोध के साथ हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को क्रमश: मार्च 2019 और मार्च 2021 में एक करोड़ रुपए और **₹** 86.75 लाख रुपए की और निधि निर्गत की गई थी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत (अक्टूबर 2021) उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, ₹ 8.37 करोड़ की संपूर्ण अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया गया था और कुल मिलाकर 70 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया जा सका। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय से कार्य पूरा करने के लिए ₹ 4.28 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया (अक्टूबर 2021/सितंबर 2023) और फंड निर्गत न होने के कारण निर्माण कार्य दिसंबर 2021 से बंद रहा। लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने (दिसंबर 2018, मई 2019, जून 2019, जनवरी 2020 और मार्च 2020) उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को काम की धीमी प्रगति के बारे में शिकायत की थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (सितंबर 2023/फरवरी 2024) कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए ₹ 4.28 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने आगे पुष्टि की (जुलाई 2024) कि शेष धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त नहीं की गई थी।

---

[38] हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के निर्माण के लिए ₹12.65 करोड़ के एक संशोधित चित्र और संशोधित आकलन को मंजूरी दी (दिसंबर 2018)। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने संशोधित चित्र को निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को अग्रेषित (दिसंबर 2018) किया। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने पहले (जुलाई 2018) राज्य सरकार से जनवरी 2017 में दिए गए ₹ 16.25 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन में संशोधन हेतु अनुरोध किया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत आकलन (₹ 12.65 करोड़) के भीतर काम को रखा जा सके।

[39] ₹ 12.65 करोड़ के संशोधित आकलन में से पहले ₹ 6.50 करोड़ की अवमुक्त धनराशि कम

तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों और अनुसंधान अध्येताओं को उचित बैठने और प्रयोगशाला स्थल प्रदान करने का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवनों के निर्माण में विलंब के कारण इसकी मंजूरी के सात साल से अधिक समय के बाद भी हासिल नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग भवन के अपूर्ण निर्माण पर ₹ 8.37 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

शहरी विकास विभाग

3.8 अपूर्ण व्यावसायिक दुकानों पर अलाभकारी व्यय

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने नगर पंचायत की पूर्ण रूप से स्वामित्व न रखने वाली भूमि पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण प्रारम्भ किया, जिसके कारण जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के साथ विवाद उत्पन्न हुआ और सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण व्यावसायिक दुकानों पर ₹1.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

उत्तर प्रदेश की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खंड VI का प्रस्तर 378 यह निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत हस्तांतरित नहीं किया गया है।

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर के कार्यालय के अभिलेखों (सितम्बर 2018) की जांच और एकत्र की गई आगे की सूचनाओं (मार्च 2019, सितम्बर 2019, अक्टूबर 2022 और मई 2023) से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत ने व्यावसायिक दुकानों[40] के निर्माण का निर्णय लिया (जून 2014) एवं तदनुसार, 63 दुकानों के निर्माण के लिए ₹ 2.93 करोड़ के ऑकलन को अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा अनुमोदित किया गया था। व्यावसायिक दुकानों के निर्माण के लिये निविदा अगस्त 2015 में आमंत्रित की गई थी और मई 2016 में न्यूनतम निविदादाता

[40] ब्लॉक संसाधन केंद्र (ब्ला०सं०के०) से नगर पंचायत के वार्ड नंबर 08 में खण्ड विकास कार्यालय भवन के सामने तक।

को ₹ 2.93 करोड़ की लागत से कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्य जून 2016 में प्रारम्भ किया गया था जिसे छह महीने में पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कार्य ₹ 1.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात फरवरी 2017 में रोक दिया गया था। परिणामस्वरुप, प्रस्तावित व्यावसायिक दुकानों के प्लास्टर, सीढ़ियों और छत का कार्य अपूर्ण रहा।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर ने नगर पंचायत को कार्य रोकने का निर्देश दिया (जुलाई 2016) क्योंकि उक्त भूमि जिस पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिला पंचायत से संबंधित थी। जिला पंचायत ने इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका[41] भी दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष यह शिकायत उठाने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2016)। तद्नुसार, दोनों पक्षों (जिला पंचायत सिद्धार्थनगर और नगर पंचायत उस्का बाजार) को सुनने के पश्चात जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने निर्णय लिया (अगस्त 2017) कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, जिला पंचायत का ही उक्त भूमि पर स्वामित्व है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में आगे अभिलिखित किया कि नगर पंचायत उक्त भूमि के अपने स्वामित्व को स्थापित करने के लिये कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को निर्माण कार्य तत्काल रोकने का निर्देश दिया। तदुपरान्त नगर पंचायत उस्का बाजार ने जिलाधिकारी से जनहित में व्यावसायिक दुकानों के छत के काम को पूरा करने की अनुमति देने के लिये अनुरोध किया (सितम्बर 2018)। जबकि, विवाद अनिर्णित रहा क्योंकि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर और नगर पंचायत उस्का बाजार के बीच आयोजित बैठक (फरवरी 2024) में इस प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

इस प्रकार, भूमि के स्वामित्व का पता लगाये बिना व्यावसायिक दुकानों का निर्माण प्रारम्भ करने में नगर पंचायत उस्का बाजार की विफलता के परिणामस्वरूप 63 व्यावसायिक दुकानों के अपूर्ण निर्माण कार्यों पर

---

[41] याचिका सं. 60900/2016

₹ 1.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ। निर्माण कार्य सात वर्षों से अधिक समय तक रुका रहा जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ[42] में दर्शाया गया है:

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर ने उत्तर (फरवरी 2024) में बताया कि नगर पंचायत, उस्का बाजार के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी उक्त भूमि के स्वामित्व का पता लगाए बिना ही व्यावसायिक दुकानों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये उत्तरदायी थे। राज्य सरकार ने आगे बताया (जुलाई 2024) कि इस प्रकरण पर संबंधित जिलाधिकारी से स्थिति की जानकारी मांगी गई है और टिप्पणियां प्राप्त होने पर तदनुसार सूचित किया जायेगा।

[42] जैसा कि नगर पंचायत उस्का बाजार द्वारा प्रदान (अप्रैल 2024) किया गया।

3.9 अपूर्ण पशु आश्रय गृहों पर अलाभकारी व्यय

वित्तीय नियमों और कान्हा पशु आश्रय योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज और नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पशु आश्रय गृहों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया, जिसके कारण ₹ 96.63 लाख व्यय होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप छह वर्ष से अधिक समय तक इन निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में पशु आश्रय गृहों/कांजी हाउस की स्थापना के लिये कान्हा पशु आश्रय योजना प्रारम्भ की। योजना के दिशानिर्देश में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों के पास पशु आश्रय गृहों के निर्माण के लिये निर्विवाद भूमि होनी चाहिए। यदि शहरी स्थानीय निकायों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी निःशुल्क भूमि की व्यवस्था करेगें। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 378 में यह भी प्रावधान है कि ऐसी भूमि पर कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत रुप से हस्तांतरित नहीं किया गया हो।

नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज

नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022), और एकत्र की गई अग्रेतर सूचनाओं (मई 2023 और नवम्बर 2023) से ज्ञात हुआ कि नगर पालिका परिषद[43] के कार्यालय परिसर में पशु आश्रय गृह के निर्माण के लिये ₹ 1.93 करोड़ की एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को स्वीकृति के लिए शहरी विकास विभाग, उ.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था (28 जून 2016)। यद्यपि, कार्यालय परिसर में अपर्याप्त भूमि के कारण, नगर पालिका परिषद ने (14 अगस्त 2016) प्रस्तावित निर्माण स्थल को किसी अन्य स्थानीय निकाय ग्राम सभा कोठीभार में स्थित एक अन्य भूमि पर स्थानांतरित

[43] नगर पंचायत सिसवा बाजार का 31 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा नगर पालिका परिषद के रूप में गठन किया गया था।

करने का निर्णय लिया, जो नगर पालिका परिषद की सीमा से सटा था। इस बीच, शासन ने ₹ 1.93 करोड़ की लागत से पशु आश्रय गृह के निर्माण के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (16 अगस्त 2016) प्रदान की और प्रथम किस्त के रूप में ₹ 96.00 लाख निर्गत किये। तत्पश्चात, नगर पालिका परिषद ने शहरी विकास विभाग से कोठीभार में पशु आश्रय गृह के निर्माण के अनुमोदित स्थल को बदलने का अनुरोध किया (20 अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने पशु आश्रय गृह की स्थापना के लिए नगर पालिका परिषद के वार्ड सं. 7 से सटे कोठीभार में उपलब्ध रिक्त भूमि प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत, कोठीभार से अनुरोध (15 अगस्त 2016) किया। तत्पश्चात, ग्राम पंचायत कोठीभार की भूमि प्रबंधन समिति ने (दिसम्बर 2016) उक्त रिक्त भूमि पर पशु आश्रय गृह के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया (दिसम्बर 2016)। शहरी विकास विभाग ने भी इस भूखंड पर पशु आश्रय गृह के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2017) ।

आगे जांच से ज्ञात हुआ कि नगर पालिका परिषद ने निविदा (सितम्बर 2016) आमंत्रित करके एक ठेकेदार को पशु आश्रय गृह का निर्माण कार्य सौंपा और तीन महीने के भीतर कार्य पूरा करने के लिये कार्यादेश (दिसम्बर 2016) निर्गत किया गया। कार्य प्रारम्भ होने के बाद ग्राम सभा कोठीभार की खलिहान भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी, निचलौल द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया (अप्रैल 2017)। बाद में नगर पालिका परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट[44] याचिका दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया (जुलाई 2017) जिलाधिकारी को चार सप्ताह में याचिकाकर्ता (नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार) की शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने का आदेश दिया। तदनुसार, जिलाधिकारी ने शिकायत पर विचार किया और उप जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा (सितम्बर 2017)। अपने आदेश में, जिलाधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत कोठीभार की भूमि प्रबंधन समिति और ग्राम प्रधान ने खलिहान भूमि पर पशु आश्रय गृह के निर्माण की

[44] रिट संख्या 27194/2017

अनुमति दे कर अपनी शक्ति से परे जाकर कार्य किया और नगर पालिका परिषद के कार्यकारी अधिकारी जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ग्राम सभा भूमि पर निर्माण प्रारम्भ करने के लिये जिम्मेदार थे।

यह उल्लेख करना उचित है कि स्वीकृति के लिए पशु आश्रय गृह की डीपीआर भेजने से पहले, नगर पालिका परिषद ने शासन को सूचित किया (18 जून 2016) कि नगर पालिका परिषद के पास निर्विवाद भूमि उपलब्ध नहीं थी और उसके बाद नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में पशु आश्रय गृह का निर्माण करने के लिये प्रस्ताव/डीपीआर को अग्रेषित (28 जून 2016) किया गया। भूमि का यह खंड दो महीने की अवधि के भीतर फिर से अपर्याप्त (अगस्त 2016) माना गया था और इसलिए ग्राम सभा कोठीभार से एक वैकल्पिक स्थल के लिये अनुरोध किया गया था। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद ने उपयुक्त स्थल की उपलब्धता के बिना पशु आश्रय गृह के निर्माण का प्रस्ताव दिया और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी की ओर से निर्विवाद भूमि प्राप्त करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2017 में कार्य रोक दिये जाने पर ₹ 48.81 लाख के व्यय के बाद कार्य की भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत थी, इसके अतिरिक्त, ₹ 109.14 लाख[45] की अवशेष धनराशि नगर पालिका परिषद (मई 2023) के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थी।

उत्तर (फरवरी 2024) में, निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय ने कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार के उत्तर को अग्रेषित किया जिसमें कहा गया था कि उप जिलाधिकारी के स्थगन आदेश के कारण अप्रैल 2017 से निर्माण कार्य रोक दिया गया था। आगे कहा गया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र के विस्तार के बाद, ग्राम सभा कोठीभार की उक्त भूमि अब नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार का हिस्सा हो गयी और उप जिलाधिकारी से उक्त भूमि के भू-उपयोग को खलिहान से परती

---

[45] ब्याज और पहली किस्त की अप्रयुक्त राशि और ₹ 49.70 लाख की दूसरी किस्त की आंशिक प्राप्ति (मार्च 2023 में प्राप्त) शामिल है।

भूमि में बदलने के लिये अनुरोध किया (जनवरी 2024) जिससे पशु आश्रय गृह के निर्माण को पूरा किया जा सके।

इस प्रकार, निर्विवाद भूमि पर पशु आश्रय गृह के लिये प्रस्ताव तैयार करने में कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद की विफलता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2017 से स्थल पर कार्य रोक दिया गया और अपूर्ण पशु आश्रय गृह पर किये गये ₹ 48.81 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। अग्रेतर, नगर पालिका परिषद दिसम्बर 2019 में अपने क्षेत्र के विस्तार के बाद नगर पालिका परिषद में ग्राम सभा की उक्त भूमि को शामिल करने के बाद भी निर्माण कार्य को पूरा करने में विफल रहा, जैसा कि निम्नलिखित तस्वीर में दर्शाया गया है।

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2018) और उससे एकत्र की गई सूचनाओं (अक्टूबर 2022 और मई 2023) से ज्ञात हुआ है कि नगर पंचायत बोर्ड ने अपनी बैठक (मई 2016) में वार्ड नंबर 7 (सुभाष नगर) में पशु आश्रय गृह के निर्माण का निर्णय लिया था। पशु आश्रय गृह के निर्माण के लिये ₹ 1.68 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (जून 2016) शासन को स्वीकृति के लिये प्रेषित की गई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं था और प्रस्तावित भूमि को खतौनी में कांजी हाउस (मवेशीखाना) के रूप में दर्ज किया गया था। शासन ने ₹ 1.68 करोड़ की

लागत के लिये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2016) और प्रथम किस्त के रूप में ₹ 84.00 लाख निर्गत किये। नगर पंचायत द्वारा निविदा (सितम्बर 2016) आमंत्रित करके एक ठेकेदार को कार्य सौंपा गया था और एक वर्ष के भीतर कार्य पूरा करने के लिये कार्यादेश (अक्टूबर 2016) निर्गत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने नवम्बर 2016 में पशु आश्रय गृह का निर्माण प्रारम्भ किया था। यद्यपि, भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर ने भूमि के इस खण्ड पर स्वामित्व का दावा किया (अप्रैल 2017) था। तत्पश्चात, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष प्रकरण की सुनवाई हुई (अगस्त 2017) जहां नगर पंचायत उक्त भूमि खण्ड पर अपने स्वामित्व को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका और जिलाधिकारी ने भूमि स्वामित्व हेतु जिला पंचायत के पक्ष में फैसला किया और नगर पंचायत को निर्माण कार्य तत्काल रोकने करने के लिये निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि फरवरी 2017 में कार्य रोके जाने पर ₹ 47.82 लाख व्यय करने के उपरांत पशु आश्रय गृह का केवल 35 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ था। छत और प्लास्टर का कार्य अपूर्ण था। इसके अतिरिक्त, नगर पंचायत के बैंक खाते में ₹ 54.09 लाख (अर्जित ब्याज सहित) की शेष धनराशि अप्रयुक्त (मई 2023) पड़ी थी।

उत्तर में (फरवरी 2024), निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय ने जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर का उत्तर अग्रेषित किया जिसमें कहा गया था कि विवादित भूमि पर एक प्रकरण सिविल जज कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसके लिए सुनवाई की अगली तिथि मई 2024 में है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि नगर पंचायत के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी भूमि के स्वामित्व का पता लगाये बिना और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये उत्तरदायी थे।

तथ्य यह है कि नगर पंचायत उस्का बाजार योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्विवाद भूमि उपलब्ध नहीं करा सका। खतौनी में भूमि के स्वामित्व का उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि भूमि खंड पर नगर पंचायत का स्वामित्व सुनिश्चित किये बिना ही भूमि पर कार्य प्रारम्भ कर

दिया गया था, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ और कार्य रोक दिया गया। परिणामस्वरुप, उक्त निर्माण अभी भी अपूर्ण (अप्रैल 2024) था जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है और अपूर्ण पशु आश्रय गृह पर किया गया ₹ 47.82 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

इस प्रकार, वित्तीय नियमों और योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण, दोनों पशु आश्रय गृहों का निर्माण छह साल से अधिक समय से अपूर्ण रहा, जिसके परिणामस्वरूप पशु आश्रय गृहों के अपूर्ण निर्माण पर ₹ 96.63 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2024) कि नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर में पशु आश्रय गृह के निर्माण के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसे माननीय न्यायालय में प्रभावी ढंग से याचिका के माध्यम से निपटाया जायेगा। राज्य सरकार ने आगे कहा कि संबंधित जिलाधिकारी से स्थिति की जानकारी मांगी गई है और टिप्पणियों की प्राप्ति पर तदनुसार सूचित किया जायेगा। यद्यपि, राज्य सरकार ने सिसवा बाजार, महाराजगंज में पशु आश्रय गृह के निर्माण पर कोई उत्तर नहीं दिया।

3.10: निजी विश्वविद्यालय में पंडाल के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश, जल निगम

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में छह वर्ष से अधिक समय से परित्यक्त पड़े हुए भव्य पंडाल के अधूरे निर्माण पर किया गया ₹ 4.91 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। कार्य के लिए ₹ 4.91 करोड़ के कुल व्यय में से निर्माण एवं परिकल्प सेवायें ने राज्य सरकार से निधि निर्गत किए बिना ₹ 2.91 करोड़ का व्यय किया।

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा (अक्टूबर 2013) के अनुसरण में, राज्य सरकार (संस्कृति विभाग) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय[46] रामपुर (विश्वविद्यालय) के परिसर में भव्य पंडाल (पंडाल) के निर्माण के लिए ₹ 12.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (फरवरी 2015) एवं ₹ दो करोड़ की प्रथम चरण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। प्रशासनिक अनुमोदन में निहित निर्धारित शर्तों के अनुसार, पंडाल का स्वामित्व संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश का होता, जिसे किसी भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति, संस्थान, विभाग या एजेंसी को हस्तांतरित या आदान-प्रदान नहीं किया जाना था। पंडाल का निर्माण कार्य, निर्माण और परिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश, जल निगम (निर्माण और परिकल्प सेवायें) द्वारा किया जाना था। निदेशक, निर्माण और परिकल्प सेवायें, लखनऊ द्वारा दिसंबर 2016 में कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति (₹ 11.49 करोड़) प्रदान की गई थी। कार्य दिसंबर 2016 में प्रारंभ हुआ एवं जून 2017 तक पूरा किया जाना था। इस बीच, संस्कृति विभाग ने प्रशासनिक अनुमोदन में निहित नियमों और शर्तों को बदल दिया (अक्टूबर 2016)। संशोधित नियमों और शर्तों के अनुसार पंडाल का स्वामित्व विश्वविद्यालय[47] को कर दिया गया।

परियोजना प्रबंधक, निर्माण और परिकल्प सेवायें, यूनिट 54, रामपुर (निर्माण इकाई) (अब निर्माण और परिकल्प सेवायें, यूनिट 18, मुरादाबाद के साथ विलय) के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2019) एवं अग्रेतर निदेशक, संस्कृति विभाग तथा निर्माण और परिकल्प सेवायें से एकत्र की गई सूचना (जनवरी 2023 और अप्रैल 2024) से पता चला कि

[46] यह एक निजी विश्वविद्यालय है।

[47] निदेशक, संस्कृति विभाग ने अवगत (अप्रैल 2024) कि राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को पंडाल का स्वामित्व हस्तांतरित करने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया था।

फरवरी 2015 में दी गई वित्तीय स्वीकृति (जनवरी 2017) के सापेक्ष पंडाल के निर्माण के लिए निर्माण और परिकल्प सेवायें रामपुर को ₹ दो करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई (जनवरी 2017) थी। आगे की जांच से पता चला कि संस्कृति विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि कार्यदायी संस्था द्वारा भौतिक प्रगति रिपोर्ट के साथ पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद ही निधि का आहरण किया जायेगा। निर्माण और परिकल्प सेवायें ने अवमुक्त किए गए ₹ दो करोड़ की पहली किस्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिसे जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था, प्रस्तुत करते हुये निदेशक, संस्कृति विभाग को भेजा (मार्च 2017)। इस बीच, कार्य की प्रगति और निरंतरता को बनाए रखने के लिए निर्माण और परिकल्प सेवायें मुख्यालय ने संस्कृति विभाग द्वारा निधि अवमुक्त करने की प्रत्याशा में मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में निर्माण इकाई को ₹ दो करोड़ की एक और किस्त अवमुक्त (फरवरी 2017) कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण इकाई ने ₹ 90.74 लाख की अतिरिक्त देयता के सृजन के साथ मार्च 2017 तक कार्य पर ₹ चार करोड़ की संपूर्ण अवमुक्त निधि का उपयोग कर लिया था। सृजित देयता का भुगतान निधि की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार को नहीं किया जा सका। निधि की कमी के कारण संरचनात्मक कार्य पूरा होने के बाद सितंबर 2017 में कार्य बंद कर दिया गया था। निर्माण और परिकल्प सेवायें के कई अनुरोधों (मार्च 2017, मई 2020 और जुलाई 2020) के पश्चात भी संस्कृति विभाग द्वारा अग्रेतर कोई और किस्त निर्गत नहीं की गई थी।

राज्य सरकार (शहरी विकास विभाग) ने उत्तर (दिसंबर 2023) में निर्माण और परिकल्प सेवायें के उत्तर को अग्रेषित किया जिसमें कहा गया कि ₹ दो करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम और ₹ 90.74 लाख की देयता का समायोजन संस्कृति विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की दूसरी किस्त अवमुक्त न करने के कारण अब तक नहीं किया गया था। निर्माण और परिकल्प सेवायें ने अग्रेतर यह भी कहा कि पंडाल का कार्य संस्कृति विभाग के निर्देशों के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्माण और परिकल्प सेवायें ने कार्य के लिए संस्कृति विभाग द्वारा निधि अवमुक्त न करने के बावजूद ₹ 2.91 करोड़[48] का कार्य किया था। अग्रेतर, पंडाल कार्य के निर्माण के लिए शेष निधि अवमुक्त न किए जाने के संदर्भ में, निदेशक, संस्कृति विभाग ने अवगत कराया (अप्रैल 2024) कि तत्कालीन माननीय संस्कृति मंत्री द्वारा असंतोषजनक प्रगति वाले कार्यों के प्रकरणों में दिए गए निर्देशों के कारण, कार्य की प्रगति संतोषजनक प्रतीत नहीं होने एवं एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर पंडाल के निर्माण पर शासकीय धन के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय जांच के कारण पंडाल कार्य के लिए अवशेष निधि अवमुक्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, ₹ 4.91 करोड़ का व्यय करने के बाद भी भव्य पंडाल का कार्य अपूर्ण रहा और यह छह साल से अधिक समय तक परित्यक्त पड़ा था। एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2024) देखा गया कि आरसीसी की छत मंच क्षेत्र के केवल एक तिहाई भाग पर पड़ी थी। मंच क्षेत्र को छोड़कर पूरे कार्य का निर्माण लोहे की सरियों के पिलर/बीम का उपयोग करके किया गया था और लोहे की सरियों एवं अन्य लोहे की सामग्रियां खुले में पड़े होने के कारण जंग खा रही थी।

3.11 अपूर्ण शूटिंग रेंज पर अलाभकारी व्यय

वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुए शूटिंग रेंज के निर्माण कार्य को पूरा करने में नगर निगम लखनऊ विफल रहा और वर्ष 2012 से कार्य बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण शूटिंग रेंज पर ₹ 18.61 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ ।

राज्य सरकार ने एकीकृत विकास और अवसंरचना सुविधाओं/सेवाओं के आवश्यक स्तर प्रदान करने के लिये प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में अवस्थापना विकास निधि के गठन को अधिसूचित किया (जुलाई 1998)। इस निधि से कार्य करने के लिये, जहां तक संभव हो, उन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी जो शहरी स्थानीय निकायों

[48] कुल व्यय (₹ 4.91 करोड़) में से संस्कृति विभाग द्वारा अवमुक्त निधि (₹ 2.00 करोड़) घटाकर।

को नियमित आय प्रदान करने वाली स्थायी संपत्ति का निर्माण कर सके। इस निधि के अंतर्गत वित्त पोषित किये जाने वाले कार्यों को आयुक्त/ जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

नगर निगम लखनऊ के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2019 और अगस्त 2022) में पाया गया कि राज्य में शूटिंग की अद्वितीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर निगम ने लखनऊ में शूटिंग रेंज की स्थापना के लिये नगर आयुक्त के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2008)। नगर आयुक्त के प्रस्ताव में परियोजना की कुल लागत उल्लिखित नहीं की गई थी और इसमें केवल यह कहा गया था कि वर्तमान में शूटिंग रेंज की स्थापना के लिये ₹ 50.00 लाख की आवश्यकता होगी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने नगर निगम के अभिलेखों[49] मे पाया कि शूटिंग रेंज स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिये कुल अनुमानित परियोजना लागत ₹ 52.95 करोड़ थी।

₹ 52.95 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष, दिसम्बर 2008 और सितम्बर 2011 के बीच अवस्थापना विकास निधि से आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा ₹ 37.14 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यद्यपि, ₹ 37.14 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शूटिंग रेंज के लिए केवल ₹ 18.88 करोड़ अवमुक्त किये गये थे और ₹ 18.61 करोड़ का व्यय (वर्ष 2012 तक) किया गया था। इस शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य, जो वर्ष 2008 में प्रारम्भ किया गया था, निधि की कमी के कारण वर्ष 2012 में रोक दिया गया था। कार्य की भौतिक प्रगति ***परिशिष्ट 3.3*** में विस्तृत रुप से दर्शायी गयी है, जो इंगित करती है कि शूटिंग रेंज केवल आंशिक रूप से विकसित की गई थी और आंतरिक और बाहरी सड़क विकास, जल निकासी और उपकरणों की खरीद से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया था। नगर निगम ने अवस्थापना विकास निधि में राज्य सरकार द्वारा निधि निर्गत न करने के लिये परियोजना के लिये कम वित्त पोषण को उत्तरदायी ठहराया (सितम्बर 2023)। प्रासंगिक रूप से, पूरी परियोजना की अनुमानित लागत

[49] पत्र सं० 33/सी/नगर आयुक्त दिनांक 05.06.2012 नगर आयुक्त से राज्य सरकार तक।

(₹ 52.95 करोड़) और परियोजना के लिये धन के स्रोत को कभी भी अनुमोदित[50] नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नगर आयुक्त ने 30 वर्ष की लीज अवधि के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर शूटिंग रेंज के रखरखाव और संचालन के लिये राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा (दिसम्बर 2016)। प्रस्ताव को राज्य सरकार[51] द्वारा नगर निगम की परिषद/कार्यकारी समिति का आवश्यक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश के साथ अनुमोदित (जनवरी 2017) किया गया था। तथापि, पीपीपी आधार पर शूटिंग रेंज के रखरखाव और संचालन का प्रस्ताव नगर निगम की परिषद/कार्यकारी समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था। नगर निगम ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (सितम्बर 2023) कि प्रस्ताव परिषद को प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि 2017-19 के मध्य उस समय तक निर्मित शूटिंग रेंज को संचालन और रखरखाव के लिये खेल विभाग, उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित करने के प्रयास किये जा रहे थे।

अग्रेतर, राज्य सरकार (शहरी विकास विभाग) ने शूटिंग रेंज को पट्टे पर खेल विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (जून 2019) था, लेकिन शूटिंग रेंज अभी खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाना शेष था। इस संदर्भ में, नगर निगम ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (सितम्बर 2023) कि खेल विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद शूटिंग रेंज को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। इस बीच, नगर निगम ने इस शूटिंग रेंज को विकसित करने के लिये ₹127.24 करोड़[52] का संशोधित आकलन भी अग्रेषित किया था (जुलाई 2023) और इस आकलन का अनुमोदन प्रतीक्षित था (15 अप्रैल 2024)।

---

[50] जैसा कि अधिशाषी अभियंता, नगर निगम लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 3141/पीएम/जे/24-25 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से सूचित किया गया।

[51] शहरी विकास अनुभाग-7 का पत्र सं. 8354/9-7-16-334 (लखनऊ)/2016 दिनांक 03.01.2017

[52] शेष पिछले कार्य और कुछ नए कार्यों सहित।

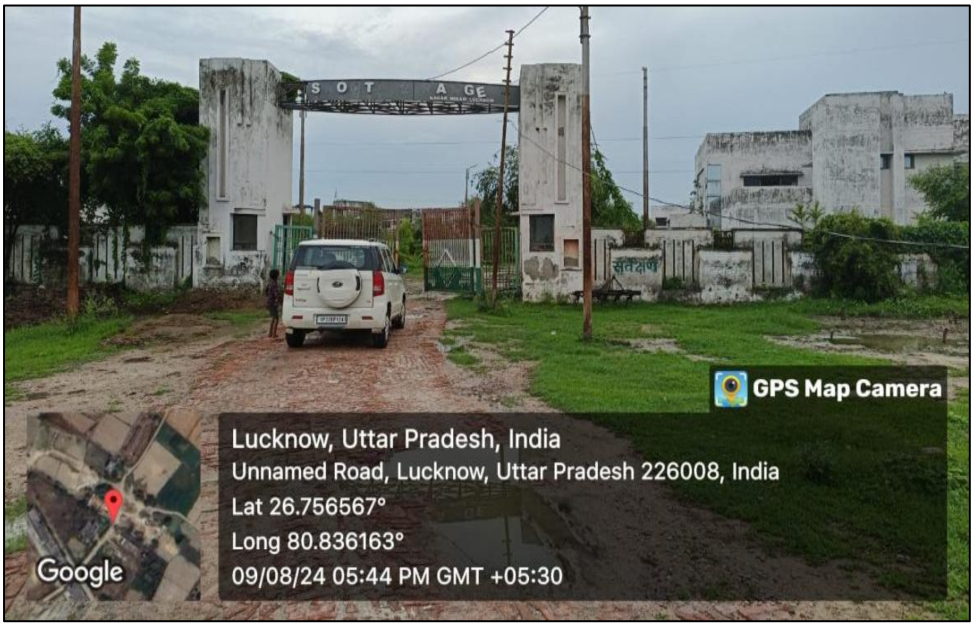

इस प्रकार, अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण ₹18.61 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी इच्छित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज को संचालित नहीं किया जा सका।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (मई 2023) कि वर्ष 2012 से निधि की कमी के कारण शूटिंग रेंज को पूर्ण रुप से संचालित नहीं किया जा सका। शासन ने आगे बताया कि शूटिंग रेंज विकसित करने के मामलों की जांच करने के लिये प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक (अप्रैल 2023) में लिये गये निर्णयों के दृष्टिगत, शूटिंग रेंज के आवश्यक न्यूनतम शेष कार्यों को पूरा

करने और शूटिंग उपकरण प्रदान करने के लिये एक कार्य योजना[53] तैयार की जा रही थी। राज्य सरकार ने आगे कहा कि परियोजना पर किया गया व्यय अलाभकारी नहीं था, जैसा कि वर्तमान में शूटिंग रेंज का उपयोग जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित प्रशिक्षण और आतंकवादी निरोधक दस्ते के कर्मियों को प्रशिक्षण और लखनऊ महोत्सव की अवधि में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता के लिये किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, पीपीपी मॉडल पर शूटिंग रेंज के विकास और इसके संचालन एवं रखरखाव के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निधि की कमी के कारण शूटिंग रेंज 2012 से अपूर्ण रहा जैसा कि उपरोक्त चित्रों में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के निर्देश (जून 2019) के बाद भी खेल विभाग को शूटिंग रेंज हस्तांतरित करने में नगर निगम द्वारा अनुचित देरी की गयी और पीपीपी आधार पर इसके संचालन के लिये प्रयास भी नहीं किये गये जो नगर निगम स्तर पर शिथिलता दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रशिक्षण के लिये जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण और लखनऊ महोत्सव के लिये शूटिंग रेंज का सीमित उपयोग, परियोजना पर व्यय को सही नहीं दर्शाता है और यह इस शूटिंग रेंज को विकसित करने का उद्देश्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, शूटिंग रेंज के शेष कार्य को पूरा करने के लिये ₹166.80 करोड़ की कार्य योजना पर शासन का अनुमोदन प्रतीक्षित था (अप्रैल 2024), जिसे दिसम्बर 2023 में राज्य सरकार को भेजा गया था।

[53] ₹166.80 करोड़ रुपये की कार्य योजना, जिसमें 127.24 करोड़ रुपये की पिछली प्रस्तावित लागत शामिल थी, को दिसम्बर 2023 में शासन को भेज दिया गया था।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग

3.12: ₹ 10.76 करोड़ का अलाभकारी व्यय

बलरामपुर जिले में कटरा शंकर नगर, तुलसीपुर और श्रीदत्तगंज में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का निर्माण कार्य भूमि प्रदान करने में देरी और निर्माण के लिए आवश्यक अनुमानित निधि की मंजूरी सुनिश्चित किए बिना काम शुरू करने के कारण इसकी स्वीकृति के ग्यारह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अपूर्ण आईटीआई भवनों पर किए गए ₹ 10.76 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत शासन ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम[54] (एमएसडीपी) के तहत जिला बलरामपुर के कटरा शंकर में ₹3.65 करोड़[55] की लागत से और श्रीदत्तगंज एवं तुलसीपुर में प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹4.05 करोड़[56] की लागत से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए परियोजनाओं[57] को मंजूरी दी (मार्च 2012 और नवंबर 2012)। एमएसडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी मामलों में कमी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मार्च 2012 में आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए ₹1.825 करोड़ की और दिसंबर 2012 में श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर प्रत्येक के लिए ₹2.025 करोड़ की पहली किस्त राज्य सरकार को निर्गत की।

प्रधानाचार्य, आईटीआई विशुनपुर विश्राम, पंचपेरवा, बलरामपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) और निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण और निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार से एकत्र की गई सूचना (जनवरी 2023,

54 बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) एक विशेष क्षेत्र विकास योजना थी जिसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास की कमी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कार्यक्रम का पुनर्गठन (मई 2018) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के रूप में किया गया है।

55 निर्माण कार्य के लिए ₹ 2.65 करोड़ और उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 1.00 करोड़।

56 सिविल कार्यों के लिए ₹ 2.86 करोड़ और उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 1.19 करोड़।

57 भारत शासन द्वारा पूरी तरह से वहन की जाने वाली निधि।

नवंबर 2023 और दिसंबर 2023) से पता चला कि राज्य सरकार ने आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (अगस्त 2012) और निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को ₹ 1.825 करोड़ की पहली किस्त निर्गत की। आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण और निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ के बीच एक समझौता ज्ञापन (19 सितंबर 2012) निष्पादित किया गया था और निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ को ₹ 1.825 करोड़ की पहली किस्त (24 सितंबर 2012) निर्गत की गई थी। समझौता ज्ञापन के अनुसार, 12 महीने में निर्माण पूरा होने के बाद भवन निदेशालय को सौंप दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने तुलसीपुर और श्रीदत्तगंज में आईटीआई के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (मार्च 2013) और निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹ 2.025 करोड़ की पहली किस्त निर्गत की। तुलसीपुर और श्रीदत्तगंज में आईटीआई के निर्माण के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण और कार्यदायी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन (मार्च 2013) निष्पादित किया गया था और प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹ 2.025 करोड़ की पहली किस्त कार्यदायी संस्था को निर्गत की गई थी (मार्च 2013)। हालांकि, समझौता ज्ञापन में आईटीआई भवनों के पूरा होने की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जिला बलरामपुर में उपरोक्त तीनों आईटीआई भवनों का निर्माण इसकी मंजूरी के ग्यारह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ द्वारा आईटीआई, कटरा शंकर नगर भवन का निर्माण

अभिलेखों की जांच से पता चला कि आईटीआई, कटरा शंकर नगर के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को भूमि जनवरी 2014 में अर्थात, समझौता ज्ञापन के निष्पादन और कार्यदायी संस्था को धन निर्गत करने के नौ महीने से अधिक की अवधि के बाद, प्रदान की गई थी। भूमि का

भाग प्राप्त होने के बाद, कार्यदायी संस्था ने साइट सर्वेक्षण किया और कार्य के लिए ₹ 5.97 करोड़ का विस्तृत अनुमान परियोजना प्रबंधक/कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक, निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ, जल निगम, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया (जनवरी 2014)। परियोजना की लागत को संशोधित किया गया था क्योंकि निर्माण स्थल नीचा था और बाढ़ संभावित क्षेत्र में स्थित था, जिसके लिए अतिरिक्त पाइल फाउंडेशन और उच्च प्लिंथ ऊंचाई की आवश्यकता थी, इसके अतिरिक्त कार्य शुरू होने (फरवरी 2014) और परियोजना की मंजूरी (मार्च 2012) के बीच 23 महीने के समय में वृद्धि के कारण निर्माण की लागत में वृद्धि हुई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कार्यदायी संस्था ने आईटीआई, कटरा शंकर नगर के लिए ₹ 5.97 करोड़ के विस्तृत अनुमान के सापेक्ष केवल ₹ 3.65 करोड़ की तकनीकी मंजूरी प्रदान की (फरवरी 2014) परियोजना प्रबंधक/कार्यदायी संस्था को तकनीकी मंजूरी में यह निर्देश दिया गया था कि अतिरिक्त निधि प्राप्त होने तक, क्लाइंट की सहमति से ₹ 2.32 करोड़ का कार्य रोककर परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए तथा एक संशोधित अनुमान तैयार किया जाना चाहिए और शेष राशि (₹ 2.32 करोड़) प्राप्त करने के लिए क्लाइंट विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि शेष कार्य पूरा किया जा सके। कार्यदायी संस्था ने फरवरी 2014 में विस्तृत अनुमान में परिकल्पित कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि सुनिश्चित किए बिना निर्माण कार्य शुरू किया, इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि अनुमोदित तकनीकी मंजूरी प्रस्तावित कार्य[58] को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एमएसडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार पहली किस्त का 60 प्रतिशत उपयोग हो जाने पर अगली किस्त निर्गत की जानी थी और उपयोगिता प्रमाण पत्र और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ धन निर्गत करने का अनुरोध किया जाना था। हालांकि, आईटीआई, कटरा शंकर नगर के लिए निर्गत पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य

[58] अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (नवंबर 2023) कि कार्यदायी संस्था ने राज्य सरकार को अतिरिक्त निधि की सूचना समय पर नहीं दी और प्रशासनिक विभाग ने अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए सहमति नहीं दी थी। निदेशालय ने आगे बताया कि निर्माण एवं डिजाइन सेवाएँ द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की एसआईटी जांच से पता चला है कि परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का कोई स्पष्टीकरण नहीं था और कार्यदायी संस्था ने परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था जो समझौता ज्ञापन और शासकीय आदेश के प्रावधानों के विरुद्ध था।

सरकार द्वारा फरवरी 2017 में अर्थात, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा धन निर्गत करने के चार साल से अधिक समय के बाद, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आईटीआई, कटरा शंकर नगर (फरवरी 2017) के लिए ₹ 1.825 करोड़ की दूसरी किश्त निर्गत की, जिसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर और कार्यदायी संस्था के बीच एक और समझौता ज्ञापन (मई 2017) के निष्पादन के बाद सितंबर 2017 में कार्यदायी संस्था को अग्रेतर निर्गत किया गया था। हालांकि, समझौता ज्ञापन में परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रिंसिपल, आईटीआई, कटरा शंकर नगर, बलरामपुर को भेजी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट (जुलाई 2018) के अनुसार, मुख्य भवन का केवल 90 प्रतिशत कार्य ₹ 2.66 करोड़[59] के व्यय के बाद पूरा किया गया था और शेष कार्य को प्रगति पर दिखाया गया था, जबकि जुलाई 2018 तक कार्यशाला भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। इसके बाद, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण से अनुमोदन के लिए आईटीआई, कटरा शंकर नगर के लिए 7.07 करोड़[60] का एक और संशोधित अनुमान राज्य सरकार को अग्रेषित किया (नवंबर 2019), जो अभी भी शासन स्तर पर लंबित था (नवंबर 2023)। प्रधानाचार्य, आईटीआई ने कार्यदायी संस्था से यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने और उसे सौंपने का अनुरोध किया (सितंबर 2020)।

इंगित किए जाने पर, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने कहा (नवंबर 2023) कि आईटीआई, कटरा शंकर नगर की भौतिक प्रगति 63 प्रतिशत थी और आईटीआई भवन अभी सौंपा जाना था।

---

[59] कार्यदायी संस्था को निर्गत किए गए ₹ 3.65 करोड़ में से, इसने निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार, लखनऊ को उपकरणों की खरीद से संबंधित शेष ₹ 99 लाख वापस कर दिए (नवंबर 2020)।

[60] कार्यदायी संस्था ने लागत में वृद्धि के कारणों का हवाला दिया: मिट्टी की स्थिति को देखते हुए पाइल फाउंडेशन के कारण लागत में वृद्धि, लो लाइंग भूमि के कारण प्लिंथ की ऊंचाई में वृद्धि और आईटीआई भवनों के मानकीकरण के कारण प्लिंथ क्षेत्र में वृद्धि।

उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड द्वारा आईटीआई, श्रीदत्तगंज और आईटीआई, तुलसीपुर के भवनों का निर्माण

अभिलेखों की जांच से पता चला कि आईटीआई, श्रीदत्तगंज के निर्माण के लिए जनवरी 2014 में और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए दिसंबर 2013 में कार्यदायी संस्था को भूमि प्रदान की गई थी अर्थात, समझौता ज्ञापन के निष्पादन और कार्यदायी संस्था को धन निर्गत करने से नौ महीने से अधिक की अवधि के बाद। कार्यदायी संस्था ने आईटीआई, श्रीदत्तगंज के लिए ₹ 6.12 करोड़ और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए ₹ 6.17 करोड़ का विस्तृत अनुमान तैयार किया (फरवरी 2014) और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत किया (जनवरी 2015) जिसे मंजूरी नहीं दी गई थी। परियोजनाओं की लागत को संशोधित किया गया था क्योंकि नवंबर 2011 की प्लिंथ एरिया दर पर प्रारंभिक अनुमान तैयार किया गया था, जबकि कार्य वास्तव में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन ने आईटीआई की स्थापना के मानदंडों को मानकीकृत किया था जिसने प्रस्तावित आईटीआई भवनों के निर्माण की लागत को बढ़ा दिया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कार्यदायी संस्था ने क्रमशः आईटीआई, श्रीदत्तगंज के लिए ₹ 6.12 करोड़ और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए ₹ 6.17 करोड़ के विस्तृत अनुमानों के सापेक्ष प्रत्येक को केवल ₹ 4.05 करोड़ की तकनीकी मंजूरी (फरवरी 2014) प्रदान की। कार्यदायी संस्था ने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि अनुमोदित तकनीकी मंजूरी प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, विस्तृत अनुमानों में परिकल्पित, कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि के लिए अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना फरवरी 2014 में दोनों आईटीआई का निर्माण कार्य शुरू किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आईटीआई, श्रीदत्तगंज और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए निर्गत पहली किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र को कार्यदायी संस्था द्वारा क्रमशः जून 2015 और अक्टूबर 2015 में प्रस्तुत किया गया था, अर्थात, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा धन निर्गत करने के दो साल से अधिक समय के बाद। तदनुसार, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने क्रमशः आईटीआई, श्रीदत्तगंज (नवंबर 2015) और

आईटीआई, तुलसीपुर (जनवरी 2016) प्रत्येक के लिए ₹2.025 करोड़ की दूसरी किश्त निर्गत की, जिसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर और कार्यदायी संस्था के बीच समझौता ज्ञापनों[61] के निष्पादन के बाद क्रमशः जून 2016 और मार्च 2016 में कार्यदायी संस्था को अग्रेतर निर्गत किया गया था। हालांकि, समझौता ज्ञापनों ने परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा का वर्णन नहीं किया। इसके बाद, कार्यदायी संस्था ने आईटीआई, श्रीदत्तगंज और आईटीआई, तुलसीपुर के लिए क्रमशः ₹ 8.16 करोड़ और ₹ 8.14 करोड़ का दूसरा संशोधित अनुमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेजा (नवंबर 2017) जिसे मंजूरी के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/शासन को अग्रेषित नहीं किया गया था। अंत में, प्रत्येक आईटीआई, श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर के लिए ₹ 4.05 करोड़ की निर्गत राशि के सापेक्ष, कार्यदायी संस्था ने जुलाई 2018 में काम पूरा किया और क्रमशः जुलाई 2019 और अप्रैल 2019 में भवनों को सौंप दिया, जबकि कार्य अपूर्ण[62] थे। यह भी देखा गया कि प्रत्येक आईटीआई के लिए ₹ 4.05 करोड़ की स्वीकृत लागत में उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 1.19 करोड़ शामिल थे, लेकिन सिविल कार्य पर ₹ 4.05 करोड़ (उपकरणों की लागत सहित) की कुल निधि व्यय करने के बावजूद निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

इंगित किए जाने पर, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने कहा (नवंबर 2023) कि आईटीआई, श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर के भवनों को उपलब्ध निधियों के अनुसार कार्य पूरा करने के बाद सौंप दिया गया था और अपूर्ण कार्यों के संबंध में संशोधित अनुमान भेजे गए थे, लेकिन पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके।

राज्य सरकार का उत्तर और निर्माण की स्थिति

राज्य सरकार ने निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार को प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम[63] के तहत वित्त पोषित निर्माणाधीन आईटीआई भवनों को

---

[61] आईटीआई श्रीदत्तगंज के लिए जून 2016 में और आईटीआई तुलसीपुर के लिए मार्च 2016 में दूसरा समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था।

[62] आईटीआई, तुलसीपुर में चार कार्यशालाएं, ओवर-हेड टैंक, पंप रूम, सड़क कार्य और साइट विकास कार्य और आईटीआई, श्रीदत्तगंज में चार कार्यशालाएं, टाइप-3 का एक आवासीय तिमाही, टाइप-1, कैंटीन, ओवरहेड टैंक, पंप रूम, सड़क कार्य और साइट विकास।

[63] भारत शासन द्वारा मई 2018 से प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में एमएसडीपी का पुनर्गठन और कार्यान्वयन किया गया था।

पूरा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (अगस्त 2023), जिसके लिए भारत शासन द्वारा संशोधित लागत अनुमान निर्गत नहीं किए जा रहे थे। इस संदर्भ में, निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार ने कहा (दिसंबर 2023) कि किए गए कार्य/किए जाने वाले कार्य को सत्यापित करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, हालांकि, संशोधित प्रस्ताव अभी तक निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ था। निदेशालय ने आगे कहा कि इन तीन आईटीआई भवनों सहित 55 अपूर्ण/निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट की मांग की गई थी।

निर्माणाधीन आईटीआई भवन कटरा शंकर नगर, बलरामपुर के एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2023) से पता चला कि मुख्य (अकादमिक) भवन छत के स्तर तक पूरा हो गया था, लेकिन कोई अन्य निर्माण नहीं हुआ था। आईटीआई, कटरा शंकर नगर आईटीआई विशुनपुर विश्राम, पचपेडवा, बलरामपुर से अस्थायी रूप से क्रियाशील था, जो आईटीआई, कटरा शंकर नगर, बलरामपुर से 62 किमी दूर स्थित है। अग्रेतर, आईटीआई श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर के संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2024) से पता चला कि दोनों आईटीआई का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था। आईटीआई, तुलसीपुर में, कार्यशाला का निर्माण शुरू नहीं किया गया था और शौचालय, दरवाजे और खिड़कियों के रखरखाव की आवश्यकता थी। आईटीआई, श्रीदत्तगंज में केवल कार्यशाला के आधारशिला कार्य किया गया था और टाइप-1 और टाइप-3 आवासों का निर्माण शुरू नहीं किया गया था। आईटीआई श्रीदत्तगंज और तुलसीपुर की कक्षाएं क्रियाशील नहीं थीं।

राज्य सरकार ने कहा (सितंबर 2024) कि उपरोक्त आईटीआई सहित पीएमजेवीके के तहत सभी अधूरे संस्थानों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पर्याप्त निधि का प्रावधान किया गया था। निर्माण एजेंसियों को किए गए कार्य/किए जाने वाले कार्य के आधार पर तुरंत अनुमान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने आगे कहा कि जैसे ही कार्यदायी संस्था से अनुमान प्राप्त होंगे, शेष कार्य निधि निर्गत करने के बाद पूरा हो जाएगा।

तथ्य यह है कि निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने में विलंब, भूमि की उपलब्धता से पहले निधि निर्गत करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी, परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय के लिए निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना काम शुरू करने और परियोजना के लिए संशोधित अनुमानों की गैर-स्वीकृति के कारण कार्यदायी संस्था को संपूर्ण स्वीकृत निधि निर्गत करने की तिथि से छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सभी तीन आईटीआई भवनों का निर्माण अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप, तीन अधूरे आईटीआई भवनों पर ₹ 10.76 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(राम हित)

प्रयागराज प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

दिनांक 25 अप्रैल 2025 उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक 30 APR 2025